उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: G-27950/32/2018/23   दिनांक 27-7-18

कार्यालय ज्ञाप

दिनॉक 26–07–2018 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 101वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–101.05 पर प्रदान की गयी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड कार्यो के सुचारू एवं त्वरित निष्पादन के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अंतर्गत दोषी प्रदूषणकारी इकाईयों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस/बन्दी की कार्यवाही के प्रकरणों में होने वाले अनावश्यक विलम्ब के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–12 एवं वायु अधिनियम की धारा–15 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत ईट भट्ठा उद्योगों को छोड़कर, अन्य समस्त प्रदूषणकारी इकाईयों के प्रकरणों में बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश जारी/निक्षेप किए जाने के अनुमोदन की कार्यवाही किए जाने हेतु बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवम् दिनॉक : उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष महोदया के निजी सहायक।
2– समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी)।
3– वेब मास्टर, बोर्ड मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
4– गार्ड फाईल।

(डा0 अखलाक हुसैन)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)